an>

Title: The Minister State in the Ministry of Skill Development and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs made a statement regarding Government Business for the week commencing the 14th March 2016 and submission made by Members.

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, आपकी अनुमति से मैं यहसूचित करता हूं कि बजट सत्र के पहले भाग की शेष अवधि के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा। :-

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. वर्ष 2915-2016 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य) पर चर्चा और

मतदान।

3. संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना।

4. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार

और पारित करना।

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में भू-संपदा (विनियमन और विकास)

विधेयक, 2015 पर विचार और पारित करना।

6. लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015

में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार और सहमत होना।

7. लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 में

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार और सहमत होना।

8. क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2016 का पुरःस्थापन।

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं –

(1) बेगूसराय जिला अंतर्गत लखनपुर ऐतिहासिक दुर्गास्थान मेला में यातायात के लिए बलान

नदी में पुल का निर्माण। (जो भगवानपुर प्रखण्ड में है)

(2) बेगूसराय जिला अंतर्गत मटिहानी प्रखण्ड में गंगा के ढाव में रामदीरी भवानंदपुर के मध्य

में पुल का निर्माण।

प्रो.चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को शामिल करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं –

"देश में मुस्लिम आबादी लगभग 20 करोड़ है, जो कि कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। लेकिन भारत में फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। फिर भाषाई अल्पसंख्यक का प्रश्न भी उलझा हुआ है। चूंकि अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं अपने विशेष स्टेटस के कारण शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं देती हैं। जिससे शिक्षा का अधिकार कानून को लागू करने में परेशानी आती है।"

अतः अल्पसंख्यक शब्द को फिर से परिभाषित करने हेतु सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। कृपया इस महत्वपूर्ण विषय को आगामी सप्ता की कार्य सूची में चर्चा हेतु रखा जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री जय प्रकाश नारायण यादव - उपस्थित नहीं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए –

1. देश को आजाद हुए करीब 68 साल गुजरने के बाद भी हम सब आज भी गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, इसका मुख्य कारण देश एवं देश की जनता के उत्थान के प्रति हमारा पूरा तंत्र उदासीन है। कार्यपालिका से विधायिका तक अपनी जवाबदेही का निर्वहन ईमानदारी पूर्व

क नहीं कर रहे हैं। राजनेता से लेकर सेना के अफसर से लेकर सड़क पर सफाई करने वाला कर्मचारी हर व्यक्ति का कार्य देश की तरक्की से जुड़ा होता है। इसलिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति की जवाबदेही तय की जाए। अतः मेरा आग्रह है कि देश की तरक्की के लिए कार्यपालिका से लेकर विधायिका एवं अन्य सभी तंत्र जो सम्मिलित हैं, उनकी जवाबदेही तय करने के लिए सख्त विधि नियम बनाया जाए।

2. दलित मुक्त का मौलिक स्रोत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का दर्शन है। डॉ. अम्बेडकर ने 29 अक्तूबर, 1942 को भारत के गवर्नर जनरल को दलित अधिकार पर एक लम्बा ज्ञापन सौंपा था। उसमें यह दर्शाया था कि जिस तरह सी.पी.डब्ल्यू.डी. के कुल 1171 ठेकेदारों में सिर्फ एक दलित ठेकेदार था। इस तरह की परंपरा आज भी कायम है। चाहे बेसिक शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा या मेडिकल शिक्षा, सभी जगहों पर आम दलित, वंचितों का हक मारा जाता है, जो कि संविधान की मूल धारणा का अपमान है। अतः देश भर में सभी जगहों पर चाहे वह ठेकेदारी हो या शिक्षा के क्षेत्र हों या ऐसे सभी क्षेत्रों में दलित, वंचित या अन्य कमजोर तबकों को आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं इस व्यवस्था को ईमानदारी पूर्वक लागू करने हेतु सख्त

नियम बनाया जाए।

HON. SPEAKER: Dr. Udit Raj – Not present.

Shri Kaushlendra Kumar.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : अध्यक्ष महोदया, लोक सभा आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:-

1. बिहार में बीपीएल के नये मापदण्ड के कारण मात्र 60 लाख परिवारों को ही सूची में शामिल किया गया है, जबकि 1 करोड़ 33 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिन्हें बीपीएल श्रेणी में शामिल करने की आवश्यकता है। बिहार सरकार ने कई बार इस विषय को केन्द्र सरकार के समक्ष रखा है, किन्तु केन्द्र सरकार बीपीएल मापदण्डों के पुनर्निधारण का कार्य नहीं कर रही है, जिसे अविलम्ब करने की आवश्यकता है, ताकि बाकी बचे अति गरीब परिवारों को भी बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जा सके।

2. राजगीर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है। अगर पटना-मथुरा-कोटा एक्सप्रेस एवं सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जो काफी समय तक पटना में ही खड़ी रहती है, उसे बढ़ाकर राजगीर तक कर दिया जाता है तो यह स्थल भी देश के अन्य दर्शनीय स्थनों से जुड़ जाएगा एवं स्थानीय लोगों को भी रेल सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : माननीय अध्यक्षा जी, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें।

1. न्यायालय का बहाना लेकर उत्तर प्रदेश में कार्यरत एससी/एसटी के लगभग आठ लाख कर्मचारी व अधिकारियों में से 1.50 लाख लोगों को डिमोट कर दिया गया है, जिनको पुनः बहाल करने के लिए तथा वरिष्ठता क्रम में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करने का विधेयक सदन में लाया जाए।

2. अधिकतर लोग अपने नाम के साथ जातिसूचक टाइटिल लगाते हैं जिससे वे लोग अपने नाम के साथ अपनी जाति को भी बताने का कार्य करते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने जाति विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना का मिशन बनाया था इसलिए जातिवाद को खत्म करने के लिए व्यक्ति के नाम के साथ जाति सूचक टाइटिल लगाना समाज में जातिवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। इसलिए जातिवाद को खत्म करने के लिए व्यक्तियों के नाम के साथ जाति सूचक टाइटिल लगाने से रोकने संबंधी विधेयक लाया जाए। जिससे जातिवाद खत्म हो सके।

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Respected Speaker Madam, my following submissions for inclusion in the next week of business may be taken into consideration:

1. Discussion on the need to increase medical facilities in existing and funding and speedier implementation for new medical colleges in the country.
2. Discussion on the need to reform rural banking in the nation and enhance their capacities for ensuring and enabling banking services for the rural inhabitants and to not limit banking reforms only to the scheduled and large banks in the nation.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. गुजरात राज्य के ओखा और कांडला बंदरगाह पर मैरिन इमिग्रेशन चैक पोस्टों का निर्माण किया जाए जिससे विदेशी जहाजों और नागरिकों के आने-जाने पर नियंत्रण रखा जा सके।

2. भारत और पाकिस्तान के बीच, बचे हुए हिस्सों की पूर्ण रूप से तारबंदी की जाए।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल कर चर्चा कराकर निदान के उपाय किए जाएं:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र में सूखा पड़ने के कारण अधिकतर जगह पर खेत खाली पड़े हैं। वहां पर कोई निजी ट्यूबवेल भी न होने से स्थिति बहुत ही विषम है। अस्तु उक्त जगहों पर सरकारी ट्यूबवेल पर्याप्त मात्रा में लगाने हेतु बजट अलाट कर सिंचाई व्यवस्था हेतु निर्देश दिए जाएं।

2. मंदाकिनी नदी जो मेरे संसदीय क्षेत्र की जीवन रेखा है, सूखे के कारण् सूख गयी है। अस्तु मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल अनुसूइया आश्रम से केवल 25 किलोमीटर दूर स्थित नर्मदा के जल को केनाल बनाकर मंदाकिनी में डालने हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, I have a small request. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let us take up Item No. 16 first.

...(*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Madam, I have a small request. The next item is the Discussion on the General Budget. We have small amendments on item no. 22 ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : डिमांड्स केवल ले करेंगे, प्रजैन्ट करेंगे।

Let us take up Item No. 16 first.

12.16 hours

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTSâ€"(GENERAL), 2015-16